जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 01.01.2025

नववर्ष के अवसर पर तहसीलदार खलीलाबाद व प्रभारी निरीक्षक धनघटा द्वारा संयुक्त रुप से थाना धनघटा परिसर में किया गया वृक्षारोपण, आमजनमानस को पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण के प्रति किया गया जागरुक

आज दिनांक 01.01.2025 को नववर्ष के अवसर पर तहसीलदार खलीलाबाद *श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय* व प्रभारी निरीक्षक धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* द्वारा थाना धनघटा परिसर में पौधरोपण किया गया, जिसके उपरान्त अन्य अधि0/कर्मचारीगण द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कुल 80 पौधे लगाये गये। तत्पश्चात वृक्षो के महत्व के बारे में संदेश देते हुए आम जनमानस को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संरक्षित कर संपूर्ण विश्व को सुरक्षित बनाए रखने लिए प्रेरित किया गया कि वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, अतः न केवल हमें नियमित तौर पर वृक्षारोपण करना चाहिए बल्कि उसके उपरान्त उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। पर्यावरण को बचाये रखना हम सभी की जिम्मेदारी है तथा हम सभी को भविष्य के दृष्टिगत इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना आवश्यक है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3302 को थाना को० खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सोनी होटल के सामने से कालर द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1. अंशुमान सिंह पुत्र रामानन्द सिंह ग्राम मेहिया बुजुर्ग थाना को० खलीलाबाद) द्वारा सड़क दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल संतकबीर नगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को० खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर सडक दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 अंगद यादव, हो०चा0 गौरीश पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 39 वाहनों से 38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 39 वाहनों से 38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री शशि सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के नेतृत्व में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 001/2025 धारा 3(1) 30प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित 02- वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01- मो0 आरिफ उर्फ छेदी पुत्र डेबर निवासी करमा खान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. शकील अहमद पुत्र अकबर अली निवासी पिपरा गोविंद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये ग्राम करमाखान नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01- मो0 आरिफ उर्फ छेदी पुत्र डेबर निवासी करमा खान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

02. शकील अहमद पुत्र अकबर अली निवासी पिपरा गोविंद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरणः-

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर गोतस्करी व गोवध जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। गोवध/पशुक्रूरता के अभियोग दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर अभियुक्तों को आज दिनांक 01.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

***अभियुक्त मो0 आरिफ उर्फ छेदी* -**

01-मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0 90/2020 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

03-मु0अ0सं0 91/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

04- मु0अ0सं0 287-2017 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0, 51/9 वन्य संरक्षण अधि0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
05- मु0अ0सं0 88/ 2021धारा धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।
***अभियुक्त शकील अहमद* –**
01-मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
व0उ0नि0 थाना दुधारा श्री प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 उमेश कुमार यादव, का0 राधेश्याम गिरी, का0 भीम कुमार, का0 हेमन्त कुशवाहा।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा पुलिस लाईन सभागार कक्ष में अपराध समीक्षा गोष्ठी का किया गया आयोजन, अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए सख्त दिशा-निर्देश

आज दिनांक 01.01.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री दिनेश कुमार पी0*** व पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा थानों पर आने वाले आगंतुकों के साथ सम्मानजनक, गरिमापूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करने, जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्यवाही करने, जनपद में घटित विभिन्न आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों की लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देशित किया गया। चोरी, लूट, नकबजनी, छिनैती व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत अपने-अपने थानाक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिष्ठानों, गांवों आदि में लोगों से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा सड़क मार्ग को कवर करते हुए लगवाने हेतु बताया गया। बैंकों, सर्राफा, ग्राहक सेवा केन्द्रों के आसपास कैमरे लगवाने व सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु बताया गया। गोतस्करी व गोवध सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान समस्त क्षेत्राधिकारीगण,समस्त थाना प्रभारी सहित समस्त शाखा/कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।